


वादी - आर्टीकल ८/० रफ्रीक मो.
मुद्रणा नं. -- 121/17

वतान

प्रतिवादी - रफ्रीक मो. ५७ भूरे खं
धारा - 88, 89, 188, 53 RTA

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>20/10/22 पत्रावली परा हुड अन्वय पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्वय पक्ष में धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.एक्ट में पधार अवकाश न है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनाक 4-1-23 को पेश ह्ये।</p> <p>4-1-23 पत्रावली परा हुड अन्वय पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्वय पक्ष में धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.एक्ट में पधार अवकाश न है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनाक 11/1/23 को पेश ह्ये।</p> <p>11.01.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण स्वयं एवं उनके नियुक्त अधिवक्ता ने आज उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए, इसी आशय का एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।</p> <p>ऐसी स्थिति में इस वादपत्र वावत, घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादपत्र वादी को इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी फूलिया कलाँ, जिला-मीलवाड़ा</p>	